न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

उनवान - सरस्वती देवी कौर बनाम हजलाल कौर

किस्म मुकदमा :- 53-205 RTA प्रकरण सं. :- 122/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
13/03/26	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वाद परिणाम मांगिता स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। तहसीलदार को पत्र भेजा जावे। पत्रावली नंबर से कम हो। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पुनः [illegible] लिया जावे। आदेश सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena Date: 2026.03.19 13:35:16 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2014/00060

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– भरत जय प्रकाश मीना, आई.ए.एस.

वाद संख्या:– 122/2014 **ता.दायरा:– 22.07.2014**

Gcms:- 2014/00060

–: अनवान :–

सरस्वती देवी आदि बनाम बृजलाल आदि

–:संसोधित अनवान :–

1. सरस्वती देवी पत्नी भवानीशंकर जाति सोनी निवासी वार्ड . 11 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. भवानीशंकर पुत्र हुलासमल जाति सोनी निवासी वार्ड न. 11 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. रेवन्ती पत्नी टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. टीकूराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान(मृतक):–

   3/1. रेवन्तराम पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

   3/2. गुड्डी पुत्री टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

   3/3. सावत्री पुत्री टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

   3/4. लिच्छमा पुत्री टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

   3/5. हेतराम उर्फ पृथ्वीराज पुत्री टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।

   नोट:– रेवन्ती देवी पत्नी टीकूराम व जगदीश पुत्र टीकूराम पूर्व में ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर पक्षकार दर्ज होने के कारण दुबारा दर्ज नहीं किया गया हैं।

4. श्रीबिहारीलाल
5. शंकर
6. अरूण

   } पि. भजनलाल जाति तरखा निवासी सीएसएफ फार्म ब्लाक न. 1 [illegible] तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

7. शाखा प्रबन्धक, पीएनबी बैंक शाखा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8. उप–पंजीयक सूरतगढ़।
9. तहसीलदार सूरतगढ़ भूमि धारक।

....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:35:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 122/2014)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई , अधिवक्ता वादीगण
2. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अधिवक्ता प्रतिवादी सख्या 1 व 2
3. श्री भगवानदत्त शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4, 5
4. पैरोकार राज सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 13/03/2026

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि रोही रंगमहल की चालू जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 के खाता संख्या नया 44 पुराना 111 के खसरा नम्बर 94 में 1.2650 हैक., 137 में 0.7080 हैक., 291/93 में 0.9610 हैक., 337/140 में 0.1140 हैक. कुल चारो खसरो की 3.0480 हैक्टेयर बारानी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस संयुक्त खाते में वादीया न. 1 सरस्वती के नाम 1.1130 हैक्टेयर बारानी व वादी न. 2 भवानीशंकर के नाम 0.3340 हैक्टेयर बारानी रंकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर कब्जा काश्त में चला आ रहा है। वादी न. 1 व 2 आपस में पति –पत्नी है। वादीगण के साथ रोही रंगमहल के ही खाता सख्या 44/111 में अन्य सहखातेदारो की भी भूमि है जिसमें प्रतिवादी न. 1 के नाम 0.4970 हैक्टेयर दर्ज है व प्रतिवादी न. 2 रेवन्ती के नाम 0.2470 हैक्टेयर व प्रतिवादी न. 3 टीकूराम के नाम 0.0380 हैक्टेयर रकबा दर्ज है जो आपस में पति पत्नी है व इसी प्रकार प्रतिवादी न. 4 श्रीबिहारीलाल के नाम 0.2870 हैक्टेयर प्रतिवादी न. 5 शंकर के नाम 0.2880 हैक्टेयर व प्रतिवादी न. 6 अरूण के नाम 0.2440 हैक्टेयर रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने काश्त की सुविधा के लिए अपने अपने हिस्सा के रकबा को सहमती से घरूली बंटवारा करके अपने हिस्सा पर काश्त करते चले आ रहे है। रकबा संयुक्त खाते का होने की वजह से काश्त करने, सरकारी रकम जमा करवाने, ट्यूबवैल आदि लगाने व उसमें बिजली का कनेक्शन लेने व भूमि सुधारने में व बैंक व सहकारी समिति आदि से ऋण सुविधा प्राप्त करने में हर समय परेशानी होती रहती है। इसलिए वादीगण अपने हिस्सा के रकबा जो वाद पत्र के साथ सलंग्न जमाबन्दी है के अनुसार अपने घरूली बंटवारा अनुसार कब्जा काश्त की भूमि का अन्य सहखातेदारो से अपना खाता अलग करवाना चाहते है व खाता अलग करवाना वादीगण का कानूनी हक है ताकि आपस में किसी किस्म का विवाद नही रहे। वादीया न. 1 का 1.1130 हैक्टेयर व वादी न. 2 का 0.3340 हैक्टेयर दोनो का कुल 1.1130+0.3340 = 1.4470 हैक्टेयर बारानी रकबा का खाता अपने अपने हिस्सा अनुसार संयुक्त रखना चाहते है, क्यों कि दोनो आपस में पति पत्नी है व आपस में घरूली बंटवारा करने पर वादीगण के पास अपने हिस्सा का रकबा वादीया न. 1 का 1.1130 हैक्टेयर + वादी न. 2 का 0.3340 हैक्टेयर = 1.4470 हैक्टेयर रकबा घरूली बंटवारा में रोही रगंमहल जैरवाद रकबा में से खसरा नम्बर 94 व 291/93 में कब्जा काश्त है , वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:35:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 122/2014)

उत्तर में प्रतिवादी न. 1 जगदीश है , दक्षिण में उदाराम, मन्शाराम आदि है व पूर्व में जी. एफ.सी. की नहर है, पश्चिम में हरजीराम वगैरहा है इनके बीच में वादीगण अपना रकबा काश्त कर रहे है व इसी अनुसार अपने कब्जा काश्त के रकबा का खाता विभाजन करवा कर नक्शा में तरमीम करवाना चाहते है। तरमीम के समय रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखा जावे। वादीगण का शेष सहखातेदारो से रकबा अलग करने के बाद प्रतिवादीगण चाहे तो अपने अपने कब्जा काश्त का रकबा का खाता विभाजन करवा कर नक्शा में तरमीम करवाने के लिए स्वतन्त्र है। व चाहे तो अपना खाता संयुक्त रखे। वादीगण का खाता विभाजन अपने खेत तक जाने के लिए रास्ते की सुविधा का ध्यान में रखते हुए किया जावे। दिनांक 11.07.2014 को खेत रंगमहल की जैरवाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण सभी इक्टठे हुए व वादीगण ने अपने अपने कब्जा काश्त के अनुसार उचित अदालत में चल कर खाता विभाजन के लिए कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने स्पष्ट मना कर दिया व कहा कि वो तो किसी अदालत में खाता विभाजन करवाने के लिए नही जायेगें। वादीगण को कहा कि आपको खाता विभाजन करवाना है तो उचित अदालत में दावा कर दो, अदालत से नोटिस आयेगा तो हम अदालत में हाजिर होकर खाता विभाजन करवा लेगें। प्रतिवादीगण की यही इन्कारी ही वाद का मुख्य कारण है। अतः निवेदन हैं कि वाद पत्र अनुतोष क ता ख अनुसार डिक्री किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4 व 5 जरिये वकील हाजिर आये तथा शेष के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर आपत्ति की गई कि वाद पत्र में दर्ज प्रतिवादी टीकूराम का देहान्त हो चुका हैं मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वादीगण जिस प्रकार अपना खाता अलग करवाना चाहते हैं उस प्रकार जैरवाद भूमि का विभाजन नहीं हुआ हैं। वादी अपने हिस्सा की भूमि का खाता अलग करवाने को स्वंतत्र हैं प्रतिवादीगण भी अपने हक व हिस्सा के अनुसार खाता विभाजन करवाने के पात्र हैं। अन्य प्रतिवादीगण द्वारा अपना जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया।

वाद पत्र में निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादीगण जैरवाद भूमि रोही रंगमहल के खाता सख्या 44/11 की 1.4470 हैक्टेयर खातेदारी हैं जिसका खाता विभाजन करने के अधिकारी हैं?
2. आया वादीगण जैरवाद भूमि में अपने हिस्सा तक की खातेदारी भूमि का खसरा न. 94 व 291/93 की अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन कराने का अधिकारी हैं?
3. अन्य अनुतोष

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:35:16 IST
Reason: SelfAttested

तनकीयात कायम होने के उपरान्त पत्रावली साक्ष्य वादी पर रखी गई। वादीया सरस्वती देवी व वादी भवानीशंकर द्वारा अपने साक्ष्य वादी जरिये शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई। प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रतिवादी हेतु

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 122/2014)

उचित अवसर देने के उपरान्त भी साक्ष्य नहीं करवाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये जाकर पत्रावली बहस हेतु रखी गई।

बहस सुनी गई। वादीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण आपस में पति–पत्नी हैं तथा दोनो के नाम से जैरवाद भूमि में हिस्सा दर्ज हैं इसलिए वादीगण का खाता संयुक्त रखते हुए प्रतिवादीगण/सहखातेदारो से घरूली बंटवारा अनुसार जो कि संसोधित वाद पत्र की मद संख्या 6 में अंकित है, खाता विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा अपने जवाबदावा के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद पत्र पूर्णतया कानून विरूद्ध व त्रूटिपूर्ण होने पर निरस्त किया जावे।

बहस पर मनन व चिन्तन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद पत्र में कुल दो तनकी कायम की गई। तनकी न. 1 रिकार्ड अनुसार साबित हैं इसलिए वादीगण के पक्ष में तय की जाती है तथा तनकी न. 2 पत्रावली में घरू बंटवारा का कोई दस्तावेज नहीं हैं इसलिए साबित नहीं होती हैं इसलिए वादीगण के विरूद्ध तय की जाती हैं। इसलिए माननीय राजस्व मण्डल द्वारा बनाये गये खाता विभाजन के नियमों अनुसार ही खाता विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। इसलिए वाद पत्र वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर खाता विभाजन हेतु विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सूरतगढ़ से मंगवाया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वाद पत्र वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाता हैं तथा जैरवाद भूमि तहसील सूरतगढ़ के रोही रंगमहल की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 के खाता संख्या नया 44 पुराना 111 के खसरा नम्बर 94 में 1.2650 हैक., 137 में 0.7080 हैक., 291/93 में 0.9610 हैक., 337/140 में 0.1140 हैक. कुल चारो खसरो की 3.0480 हैक्टेयर बारानी खातेदारी में तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता हैं कि वह पटवारी हल्का को साथ लेकर तथा पक्षकारों को सूचना देकर मौके पर जाकर पुराने कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए रास्ते आदि की सुविधा का ध्यान रखते हुए वादीगण का खाता संयुक्त रखते हुए उनके हिस्सा की कृषि भूमि का विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा बनाकर अलग अलग रंग भर कर 20 दिवस में इस अदालत को भिजवायें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 13/03/2026 . को सुनाया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:35:16 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: प्राथमिक डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – भरत जय प्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

–: अनवान :–

सरस्वती देवी आदि बनाम बृजलाल आदि

–:संसोधित अनवान :–

1. सरस्वती देवी पत्नी भवानीशंकर जाति सोनी निवासी वार्ड . 11 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. भवानीशंकर पुत्र हुलासमल जाति सोनी निवासी वार्ड न. 11 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. रेवन्ती पत्नी टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. टीकूराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान(मृतक):–

   3/1. रेवन्तराम पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

   3/2. गुड्डी पुत्री टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

   3/3. सावत्री पुत्री टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

   3/4. लिच्छमा पुत्री टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

   3/5. हेतराम उर्फ पृथ्वीराज पुत्री टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।

नोटः– रेवन्ती देवी पत्नी [illegible] की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर पक्षकार दर्ज होने के कारण दुबारा दर्ज नहीं किया ग[illegible]

4. श्रीबिहारीलाल
5. शंकर
6. अरूण

} [illegible] सीएसएफ फार्म ब्लॉक न. 1 सूरत[illegible] तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

7. शाखा प्रबन्धक, पीएनबी बैंक शाखा सू[illegible]ढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8. उप–पंजीयक सूरतगढ़।
9. तहसीलदार सूरतगढ़ भूमि धारक।

....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:35:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 122 वर्ष 2014 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री भागीरथ बिश्नोई व वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 श्री सर्वजीत छाबड़ा व वकील प्रतिवादीगण संख्या 4, 5 श्री भगवानदत्त शर्मा व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाता हैं तथा जैरवाद भूमि तहसील सूरतगढ़ के रोही रंगमहल की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 के खाता संख्या नया 44 पुराना 111 के खसरा नम्बर 94 में 1.2650 हैक., 137 में 0.7080 हैक., 291/93 में 0.9610 हैक., 337/140 में 0.1140 हैक. कुल चारो खसरो की 3.0480 हैक्टेयर बारानी खातेदारी में तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता हैं कि वह पटवारी हल्का को साथ लेकर तथा पक्षकारों को सूचना देकर मौके पर जाकर पुराने कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए रास्ते आदि की सुविधा का ध्यान रखते हुए वादीगण का खाता संयुक्त रखते हुए उनके हिस्सा की कृषि भूमि का विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा बनाकर अलग अलग रंग भर कर 20 दिवस में इस अदालत को भिजवायें।

नोज..... × ..... मुबलिग.....× ..... बाबत.....×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ..... × ..... फस्दो की पालना ..... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13/03/2026. को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(भरत जय प्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:35:16 IST
Reason: SelfAttested